न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 172/2022

1 हंसराम पुत्र स्व. बालाराम
2 प्रेम पुत्री स्व. बालाराम
3 बुलकेश पुत्र स्व. बालाराम
4 शारदा पुत्री स्व. बालाराम जाति जाट निवासी केसरीपुरा तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रोहिताश पुत्र रामकुमार
2 इन्द्रा स्त्री दरियासिंह
3 पूर्णमल पुत्र हणमान
4 भागोती स्त्री रामकुमार
5 मुकेश पुत्र दरिया सिंह
6 सन्दीप पुत्र दरिया सिंह
जाति जाट निवासी केसरीपुरा तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।
7 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड़ागांव तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू जरिये शखा प्रबन्धक।
9 उप पंजीयक गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
10 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.10.2022
बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
राज. मुकदमा उनवानी रोहिताश बनाम इन्द्रा मु.नं. 247/2020
जीसीएमएस नम्बर 2020/00486 दावा बाबत खाता विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फैयाज अहमद, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—7.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 247/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 3.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.77 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम केशरीपुरा तहत तहसील गुढागौड़जी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रोहिताश ने विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.02.2022 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 07.10.2022 को अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2022 को उपस्थित पक्षकारों की सहमति से कब्जा व रिकार्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने बाबत आदेशित किया। विवादित जमीन में से खसरा नम्बर 143 रकबा 0.84 हैक्टेयर जमीन ग्राम केशरीपुरा से मुख्य सड़क झुन्झुनू से उदयपुरवाटी आने वाली सड़क पर स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 0.84 हैक्टेयर जमीन में अपीलान्टस बालाराम के वारिसान का 1/3 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 143 की 1/3 हक हिस्सा की जमीन पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया कि पक्षकारान की मौजुदगी में कब्जा काश्त व रिकार्ड के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश करें। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी ने पहले जो विभाजन प्रस्ताव बनाये उसमें खसरा नम्बर 143 में अपीलान्टस को 1/3 हक हिस्सा की जमीन नहीं दी इस कारण अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत एतराज विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.05.2022 को स्वीकार कर पुनः विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश करने बाबत दिनांक 09.05.2022 को आदेश दिया जिस पर पुनः विभाजन प्रस्ताव पूर्व विभाजन प्रस्तात के मुताबिक ही बनाकर पेश कर दिये जिस पर अपीलान्टस ने फिर से मौखिक एतराज पेश किया जिस मौखिक एतराज को विचारण न्यायालय ने खारिज कर अन्तिम डिक्री जारी कर दी। खसरा नम्बर 143 में पूर्णमल को गलत रूप से बिना कब्जा काश्त के व बिना हक हिस्सा के 0.56 हैक्टेयर जमीन प्राथमिक डिक्री के निर्देशों से हटकर गलत दी है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी ने नहीं बनाये। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का को विभाजन प्रस्ताव बनाने का क्षेत्राधिकार नहीं था। तहसीलदार अपने को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व अपीलान्टस को कोई नोटिस नहीं दिया। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टस की अनुपस्थिति में बनाये है। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.10.2022 खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में दिनांक 10.02.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत नहीं कर एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत एक अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में दो बार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में नियमानुसार रास्ते का प्रावधान रखा गया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आपत्ति का निस्तारण कर अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में दिनांक 10.02.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत नहीं कर एक ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

अपील प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत एक अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में दो बार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में नियमानुसार रास्ते का प्रावधान रखा गया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आपत्ति का निस्तारण कर अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज़ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर